सत्यापन

दोषसिद्धि

चिल्ड्रेन एक्ट, 2001 की धारा 258 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को 18 वर्ष से कम आयु में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषसिद्ध (दोषी ठहराया) गया हो, और वह अपराध ऐसा न हो जिसकी सुनवाई Central Criminal Court (केंद्रीय आपराधिक न्यायालय) द्वारा किया जाना आवश्यक हो, तो उस व्यक्ति पर उस दोषसिद्धि का खुलासा करने का दायित्व नहीं होगा, बशर्ते कि वह तीन वर्षों की अवधि के भीतर कोई अन्य अपराध न करे तथा अपनी सजा से संबंधित सभी शर्तों का पालन कर चुका हो। ऐसी परिस्थितियों में, उस दोषसिद्धि का अभिलेख (रिकॉर्ड) समाप्त (Expunged) माना जा सकता है।

चेतावनी

किसी युवा व्यक्ति को डाइवर्जन कार्यक्रम में शामिल किया जाना तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसे दी गई चेतावनी, उसे आपराधिक दोषसिद्धि (Criminal Conviction) से बचने का अवसर प्रदान करती है।चेतावनी आपराधिक दोषसिद्धि नहीं होती और इसे इस रूप में दर्ज (रिकॉर्ड) भी नहीं किया जाता।इसलिए, चेतावनी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ऐसा माना जा सकता है कि उसके विरुद्ध किसी भी आपराधिक दोषसिद्धि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेतावनी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर यह बताने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है कि उसे कभी चेतावनी दी गई थी

कृपया ध्यान दें कि एन गार्दा शीओखाना (An Garda Síochána) इस तथ्य का अभिलेख (रिकॉर्ड) रख सकती है कि किसी व्यक्ति को चेतावनी प्रदान की गई थी। यह डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2018 की धारा 55 एवं भाग 5, तथा नेशनल आर्काइव्स एक्ट, 1986 के अंतर्गत उसके दायित्वों के अनुरूप है।

किसी व्यक्ति को चेतावनी दिए जाने का तथ्य केवल उसी स्थिति में किसी तृतीय पक्ष के समक्ष प्रकट किया जाएगा, जब चिल्ड्रेन फर्स्ट एक्ट, 2015 अथवा नेशनल वेटिंग ब्यूरो (चिल्ड्रेन एंड वल्नरेबल पर्सन्स) एक्ट्स, 2012–2016 के अंतर्गत ऐसा करने का कानूनी दायित्व उत्पन्न होता हो।

इन अधिनियमों के अंतर्गत एन गार्दा शीओखाना पर यह दायित्व है कि यदि किसी बच्चे या किसी असुरक्षित व्यक्ति को हानि पहुँचने का जोखिम हो, तो वह आवश्यकतानुसार कुछ विशिष्ट जानकारी का प्रकटीकरण करे।

यदि यह निर्णय लिया जाता है कि जिस अपराध के कारण चेतावनी दी गई थी, उसके आधार पर चेतावनी प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी बच्चे या असुरक्षित व्यक्ति के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी जानकारी, यदि कोई हो, प्रकट की जाएगी, उपयुक्त सुरक्षा प्रावधान लागू रहते हैं।

चेतावनी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तृतीय पक्ष के समक्ष किए जाने वाले किसी भी प्रकटीकरण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार तथा निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त है।

अधिक जानकारी:

डाइवर्ज़न प्रोग्राम का विवरण निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

- **आयरिशस्टैच्यूटबुक (Irishstatutebook) – चिल्ड्रेन एक्ट, 2001 का भाग 4**
- **www.citizensinformation.ie**
- **www.garda.ie**

An Garda Síochána

Ag Coinneáil Daoine Sábháilte - Keeping People Safe

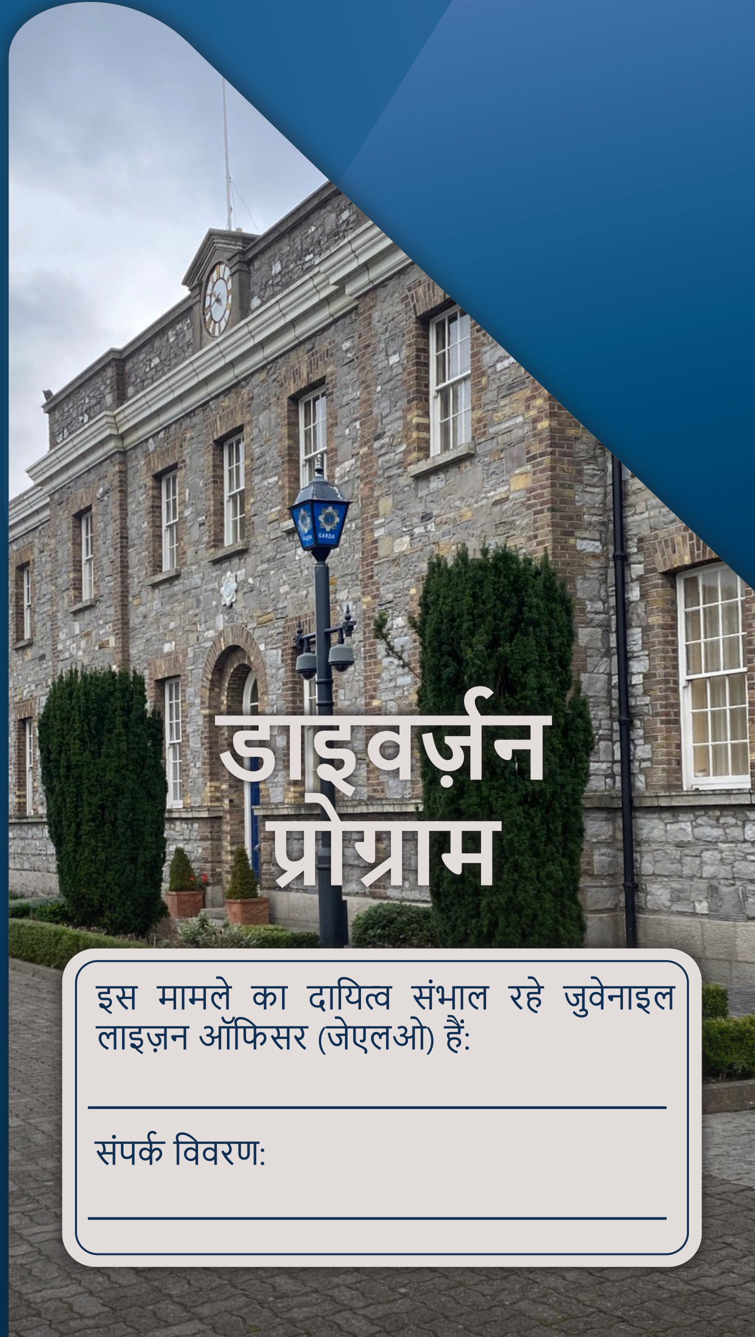

डाइवर्ज़न प्रोग्राम

इस मामले का दायित्व संभाल रहे जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर (जेएलओ) हैं:

____

संपर्क विवरण:

____

गार्दा नेशनल यूथ डाइवर्ज़न प्रोग्राम

जब 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति किसी आपराधिक अपराध के लिए उत्तरदायी होता है, तो उस मामले का निपटारा निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है। उस युवा व्यक्ति के साथ:

1. चेतावनी दी जा सकती है।
2. न्यायालय में उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है।

किसी भी युवा व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने से पहले, न्यायालयी प्रक्रिया के विकल्प के रूप में उसे डाइवर्ज़न प्रोग्राम के अंतर्गत चेतावनी दिए जाने के लिए पहले विचार किया जाना आवश्यक है।चेतावनी (गार्दा जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर (जेएलओ) द्वारा दी जाने वाली एक औपचारिक चेतावनी है, जिसमें अपराध के संबंध में चर्चा भी शामिल होती है।

डाइवर्ज़न प्रोग्राम चिल्ड्रेन एक्ट, 2001 में निर्धारित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होता है।चेतावनी देने अथवा अभियोजन चलाने का निर्णय गार्दा नेशनल यूथ डाइवर्ज़न ब्यूरो में नियुक्त गार्दा सुपरिंटेंडेंट द्वारा लिया जाता है, जिन्हें डाइवर्ज़न प्रोग्राम के निदेशक (Director of the Diversion Programme) के रूप में जाना जाता

डाइवर्ज़न प्रोग्राम में प्रवेश

किसी युवा व्यक्ति को डाइवर्ज़न प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उपयुक्त मानने से पहले, कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है।

युवा व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
- अपने अपराधपूर्ण आचरण की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी।
- चेतावनी प्राप्त करने के लिए सहमत होना होगा।
- जहाँ उपयुक्त हो, जेएलओ (जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर) द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षण की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होना होगा।

यह प्रक्रिया कैसे कार्य करती है?

एक स्थानीय जेएलओ (जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर) युवा व्यक्ति से संपर्क करेगा और उसके अपराधपूर्ण आचरण पर चर्चा करने के लिए उससे मुलाकात करेगा। यह बैठक युवा व्यक्ति के घर पर अथवा गार्दा स्टेशन में आयोजित की जा सकती है।
इस बैठक में युवा व्यक्ति तथा उसके माता-पिता/अभिभावक(गण) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

चेतावनी का उद्देश्य युवा व्यक्ति को अपने अपराधपूर्ण आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना तथा उसे जेएलओ के साथ मिलकर ऐसी योजना तैयार करने का अवसर देना है, जिससे वह भविष्य में पुनः कोई अपराध करने से बच सके।

चेतावनी जेएलओ (जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर), गार्दा इंस्पेक्टर अथवा गार्दा सुपरिंटेंडेंट द्वारा दी जाएगी.

किसी युवा व्यक्ति की प्रोग्राम के लिए उपयुक्तता के संबंध में निर्णय

निर्णय लेते समय, निदेशक निम्नलिखित बातों पर विचार करेंगे:

1. **अपराध की प्रकृति।**
2. **पीड़ित (Victim) के विचार। (पीड़ित के विचारों पर विचार किया जाएगा, परंतु युवा व्यक्ति को प्रोग्राम में प्रवेश देने के लिए पीड़ित की सहमति आवश्यक नहीं होगी।)**
3. **क्या क्षमा-याचना की गई है।**
4. **क्या हुई किसी भी हानि की भरपाई अथवा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई उपाय किया जा सकता है।**
5. **समाज के हित।**
6. **मामले की जाँच कर रहे गार्दा के विचार।**
7. **जेएलओ (जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर) के विचार।**
8. **अपराध तथा डाइवर्ज़न प्रोग्राम के प्रति युवा व्यक्ति का दृष्टिकोण।**
9. **डाइवर्ज़न प्रोग्राम में युवा व्यक्ति की पूर्व सहभागिता।**

पर्यवेक्षण क्या है?

यदि किसी युवा व्यक्ति को चेतावनी दी जाती है, तो उसे 12 माह की अवधि के लिए जेएलओ (जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर) के पर्यवेक्षण में रखा जा सकता है। पर्यवेक्षण की प्रकृति जेएलओ (JLO) द्वारा निर्धारित की जाएगी और यह प्रत्येक मामले के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसके अंतर्गत युवा व्यक्ति को किसी स्थानीय यूथ डाइवर्ज़न प्रोजेक्ट में भाग लेने, कुछ समाजोपयोगी गतिविधियों में शामिल होने, अथवा ऐसी किसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए सहमत होना पड़ सकता है, जो उसके व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाने में सहायक हो।

पुनर्स्थापनात्मक न्याय

कुछ मामलों में, जहाँ युवा व्यक्ति ने अपने कृत्य की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली हो, अपराध के पीड़ित को चेतावनी की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने अथवा अपने विचार प्रस्तुत करवाने का अवसर दिया जा सकता है। इससे पीड़ित को अपनी बात रखने तथा अपराध के पूर्ण प्रभाव को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। साथ ही, इससे युवा व्यक्ति को पीड़ित से सीधे क्षमा-याचना करने तथा जहाँ उपयुक्त हो, हुई हानि की भरपाई के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाने का अवसर भी प्राप्त होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर क्या होता है?
उत्तर: जुवेनाइल लाइज़न ऑफिसर (जेएलओ) एन गार्दा शीओखाना का विशेष रूप से प्रशिक्षित सदस्य होता है, जो उन युवा व्यक्तियों (18 वर्ष से कम आयु) के साथ कार्य करता है, जो अपने अपराधपूर्ण आचरण के कारण आपराधिक न्याय प्रणाली के संपर्क में आए हैं।

प्रश्न: मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्थानीय जेएलओ कौन है?
उत्तर: आप अपने स्थानीय गार्दा स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको आपके स्थानीय जेएलओ के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रश्न: यदि मैं डाइवर्ज़न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होता/होती, तो क्या होगा?
उत्तर: मामले को उस गार्दा सुपरिंटेंडेंट के पास भेज दिया जाएगा, जो कथित अपराध की जाँच की निगरानी कर रहा है। इसके बाद वह आपके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने पर विचार करेगा।

प्रश्न: क्या मेरे प्रथम अपराध पर ही मेरे विरुद्ध आरोप तय किए जा सकते हैं और मुझे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, यदि डाइवर्ज़न प्रोग्राम के निदेशक (Director) यह निर्णय लेते हैं कि आप चेतावनी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

प्रश्न: क्या मुझे एक से अधिक बार चेतावनी (Caution) मिल सकती है?
उत्तर: हाँ, यदि डाइवर्ज़न प्रोग्राम के निदेशक (Director) इसे उपयुक्त समझते हैं।